

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में कोटिला ग्वाड मोटर मार्ग से सुरईखेत मिलान मोटर मार्ग का निर्माण

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

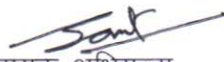
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



अमीन
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत



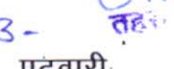
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

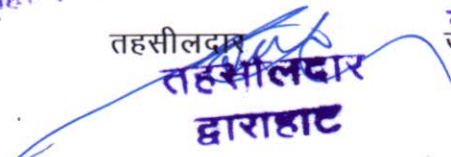


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

- 1-  नि. क. क. डी. तिस
- 2-  (जी. ए. ए. डी. का. डी.)
- 3-  तहसीलदार

पटवारी

तहसीलदार

 तहसीलदार
द्वाराहाट


उपजिलाधिकारी
द्वाराहाट

प्रति हस्ताक्षरित


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा,



वन क्षेत्राधिकारी
वन दरोगा
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा



उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी